

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

## **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 1485|

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2015/ आषाढ़ 22, 1937

No. 1485] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2015/ASADHA 22, 1937

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1878(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 नामक स्कीम बनाई थी ;

और, पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) में यह उपबंध किया था कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उक्त स्कीम की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम की निधि प्रबंधक होगी;

और, उक्त निधि प्रबंधक की पांच वर्ष की अवधि 3 नवम्बर, 2013 को समाप्त हो गई है;

और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 497(अ), तारीख 10 जुलाई, 2014 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 31 दिसंबर, 2014 तक के लिए निधि प्रबंधक के रूप में पुन: नियुक्त किया था ;

और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 287(अ) तारीख 30 जनवरी, 2015 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 जून, 2015 तक के लिए निधि प्रबंधक के रूप में पुन: नियुक्त किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि उक्त निधि प्रयंधक को 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि का विस्तार करना आवश्यक है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण राहत स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अनुसरण में और उक्त अधिसूचना सा.का.नि. 287(अ), तारीख 30 जनवरी, 2015 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए 31 दिसम्बर, 2015 की अविध के लिए पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के अधीन निधि प्रबंधक के रूप में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पुन: नियुक्त करती है।

[फा. सं.18-13/91-पीएल-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1878(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), the Central Government framed a scheme, namely, the Environment Relief Fund Scheme, 2008;

And whereas, sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme. 2008 provided that the United India Insurance Company Limited shall be the Fund Manager of the said scheme for a period of five years from the date of notification of the said scheme;

And whereas, the five years term of the said Fund Manager expired on 3<sup>rd</sup> November, 2013;

And whereas, by a notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number G.S.R. 497 (E), dated the 10<sup>th</sup> July, 2014, the Central Government reappointed the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager for a period upto 31<sup>st</sup> December, 2014;

And whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 287 (E), dated the 30<sup>th</sup> January, 2015, the Central Government reappointed the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager for a period upto 30<sup>th</sup> June, 2015;

And whereas, the Central Government has considered it necessary to extend the term of the said Fund Manager for a period upto 31<sup>st</sup> December, 2015.

Now, therefore, in pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme, 2008, and in supersession of the said notification number G.S.R. 287 (E), dated the 30<sup>th</sup> January, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reappoints the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager under the Environment Relief Fund Scheme, 2008, for a period up to 31<sup>st</sup> December, 2015.

[F. No. 18-13/91-PL-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.